भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5593

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उपचार के लिए बीमा कवरेज

5593. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी बीमा कंपनियों को आयुष उपचारों, जैसे पंचकर्म और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को अपने कवरेज में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(ग) देश में आयुष उपचार के लिए व्यापक बीमा कवरेज सुनिश्चित करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार आयुष उपचार में परामर्श के लिए दरें तय करने जैसे वित्तीय घटकों को एकीकृत करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस एकीकरण को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा आयुष उपचारों की वहनीयता और इस तक पहुंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है; और

(च) क्या पश्चिमी एवं पारंपरिक औषधियों को एकीकृत करने के संबंध में दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कोई सबक लिया गया है तथा इन्हें भारतीय संदर्भ में किस प्रकार अनुकूलित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ङ): जी हां, आयुष मंत्रालय ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी), सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ (जीआईपीएसए) और निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मुद्दों पर कई बैठकें की हैं।

आयुष मंत्रालय ने आयुष पद्धति में बीमा कवरेज के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप गठित किया है, जिसकी संदर्भाधीन शर्तें निम्नलिखित हैं:

i. आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मामलों पर सलाह देना और निगरानी रखना।
ii. सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
iii. स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष पद्धतियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और श्वेत पत्र तैयार करना।

विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की सिफारिश के साथ, आयुष मंत्रालय ने देश भर में आयुष हितधारकों और बीमा हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आयोजित की है, जिसमें निजी स्वास्थ्य सेवा संगठन और निजी बीमा कंपनियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

आयुष उपचार की बढ़ती मांग को देखते हुए, आईआरडीएआई ने दिनांक 31/01/2024 के पत्र संख्या- आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/जीडीएल/31/01/2024 के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के उद्देश्य से आयुष उपचारों को अन्य उपचारों के बराबर रखने की सलाह दी है ताकि पॉलिसीधारकों को अपनी पसंद का उपचार चुनने का विकल्प प्रदान किया जा सके। आईआरडीएआई ने यह भी सलाह दी कि सभी पॉलिसियों में गुणवत्ता मापदंडों के साथ-साथ कैशलैस सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष अस्पतालों/डे केयर सेंटरों को नेटवर्क प्रदाताओं के रूप में नामांकित करने की प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए और यह परिपत्र दिनांक 01.04.2024 को लागू हुआ।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने विभिन्न चिकित्साओं/उपचारों की बेंचमार्क दरों के आधार पर आयुष उपचारों के बीमा कवरेज और दावों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों (2016) में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया है।

(च): इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

*****